

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 260 / FP/UK/ROAD/15504/2015 देहरादून: दिनांक: 29 जुलाई 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,  
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद— अल्मोड़ा में जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा से ठाठ गांव तक मोटर मार्ग निर्माण 1.17 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 26.09.2016

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 26.09.2016 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 362/12-1 दिनांक 27.07.2021 से प्राप्त आख्या प्रेषित की जा रही है :-

SL NO	OBJECTIONS	REPLY
1	Authority Letter is not uploaded in online part I in favour applicant.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव अपलोड किये जाने हेतु अधिकार पत्र पार्ट-Iके A-3(XVII)में अपलोड कर लिया गया है।
2	In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion, Uploaded at C(iv) part I online, geo coordinates are shown in google map which does not serve the purpose. May provide/upload scanned copy of clear GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo co-ordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turnings points.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि जियो रैफरेंस मानचित्र पार्ट-I के C (iv)पर अपलोड कर लिया गया है।
3	The digital map of area proposed of CA is provided in google map. Which does not serve the purpose. The state govt. may provide/upload GIS software generated revised map showing geo coordinates for all corner points in polygon (Shp) closed file.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.340 हे० अवनत आरक्षित भूमि प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि के मानचित्र अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर लिया गया है।
4	As per Decision Support system (DSS) analysis, out the toatal area of 2.34 ha proposed for CA, the whole area is moderately dense forest. State govt. may replace this area	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.340 हे० अवनत

	with some other area suitable for CA and provide/upload revised digital map, Sol toposheet map and KML file of the complete 2.34 ha CA area again after making the above change.	आरक्षित भूमि प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि के मानचित्र एवं अन्य प्रपत्र अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दिया गया है तथा CA के प्राक्कलन मानचित्र उपयुक्ता प्रमाण पत्र आदि सूचना पार्ट-2 के अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दिये गये हैं।
5	The date of FRA certificate is 08-10-2015 while the date of proceeding of district level committee (DLC) Meeting is 09-10-2015 which is procedurally not correct. The revised FRA certificate of date after DLC may upload along all annexure in online part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संशोधित वनाधिकार प्रपत्र पार्ट-1 के सैक्शन के० पर अपलोड कर लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/ROAD/15504/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 362/12-1 दिनांक 27.07.2021 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।